

मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा और उसकी प्रासंगिकता

डा० मुक्ता सिंह¹

¹एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, मध्यांचल विश्वविद्यालय, भोपाल 461000

Received: 20 Dec 2024 Accepted & Reviewed: 25 Dec 2024, Published : 31 Dec 2024

Abstract

मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा प्राचीन भारत की सबसे संगठित और प्रभावशाली व्यवस्थाओं में से एक था। यह शासन प्रणाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य (कौटिल्य) द्वारा स्थापित की गई थी, जिसमें केंद्रीकृत शासन, न्यायिक व्यवस्था, और समाजिक कल्याण के सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया गया था। मौर्य प्रशासन ने दक्ष नौकरशाही, गुप्तचर प्रणाली, और आर्थिक प्रबंधन को अत्यधिक महत्व दिया। इसके अलावा, इसने न्याय, दंड नीति, और जनकल्याण कार्यों को एक व्यवस्थित ढांचे में स्थापित किया, जिसे सम्राट अशोक के शासनकाल में और भी मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया। इस शोध-पत्र में मौर्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि उसके संगठनात्मक ढांचे, न्यायिक व्यवस्था, और समकालीन प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है। मौर्य शासन की विशेषताओं और कमजोरियों पर चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि किस प्रकार इसकी प्रणाली आज भी समकालीन भारतीय प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि मौर्य प्रशासन की सिद्धांतों और व्यवस्थाओं का अध्ययन समकालीन शासन की स्थिरता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कीवर्ड— मौर्य साम्राज्य, प्रशासनिक ढांचा, चाणक्य (कौटिल्य), केन्द्रीयकृत शासन, न्यायिक व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली, जनकल्याण, दंड नीति, सम्राट अशोक, विकेन्द्रीकरण, समकालीन प्रासंगिकता, भारतीय प्रशासन, प्रशासनिक सुधार

Introduction

भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास सदैव से राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध रहा है। प्राचीन भारत के अनेक साम्राज्यों में मौर्य साम्राज्य (322 ई.पू. दृ 185 ई.पू.) एक ऐसा शक्तिशाली और सुव्यवस्थित शासन तंत्र वाला साम्राज्य था, जिसने न केवल भारत के विशाल भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया, अपितु एक आदर्श प्रशासनिक संरचना प्रस्तुत की, जो आने वाले अनेक शासकों एवं आधुनिक प्रशासनों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई।

मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य (कौटिल्य) के मार्गदर्शन में की थी। उनके शासन के पश्चात बिंदुसार और तत्पश्चात महान सम्राट अशोक का नाम आता है, जिनके शासनकाल को भारतीय प्रशासनिक इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य साम्राज्य का फैलाव वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक विस्तृत था। इतने विशाल साम्राज्य को सुचारु रूप से चलाना एक सशक्त प्रशासनिक ढांचे के बिना संभव नहीं था।

मौर्य प्रशासन की एक विशेषता यह थी कि यह केन्द्रीयकृत था, लेकिन साथ ही प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर भी इसका विस्तृत ढांचा था। शासन में सम्राट सर्वोच्च सत्ता का स्वामी होता था, परंतु उसके कार्यों में अनेक अधिकारी, महामात्य, गुप्तचर, न्यायाधीश आदि की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती थीं। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र इस प्रशासनिक ढांचे का मूल स्रोत है, जिसमें शासन व्यवस्था, कराधान, न्याय, गुप्तचर व्यवस्था, आर्थिक नियोजन आदि विषयों का अत्यंत सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक वर्णन मिलता है।

सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रशासनिक ढांचे में एक मानवीय दृष्टिकोण भी जुड़ता है, जहाँ श्धम्म (नीतिपरक शासन) के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार किया गया। उनके अभिलेखों में यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने अधिकारियों को जनसेवा, पर्यावरण संरक्षण, पशु-कल्याण और धार्मिक सहिष्णुता जैसे दायित्व सौंपे थे।

वर्तमान समय में जब भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहु-स्तरीय शासन प्रणाली वाले देश में शासन-प्रशासन की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशिता और सुशासन की बातें होती हैं, तब यह विचार करना अत्यंत समीचीन है कि क्या मौर्यकालीन प्रशासन से आज भी कुछ सीखा जा सकता है। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, कर प्रणाली, न्याय प्रणाली, नगर प्रशासन तथा पर्यावरण-संवेदनशील नीतियाँ आज भी शोध का विषय हैं।

इस शोध-पत्र में हम मौर्यकाल के प्रशासनिक ढांचे का गहराई से विश्लेषण करेंगे—केन्द्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय प्रशासन के स्वरूप को समझेंगे; विभिन्न प्रशासनिक पदों की भूमिका का परीक्षण करेंगे; साथ ही यह मूल्यांकन करेंगे कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक भी है।

मौर्यकालीन प्रशासन एक अत्यंत संगठित, अनुशासित और व्यापक प्रणाली थी, जिसकी नींव 'अर्थशास्त्र' जैसे ग्रंथों तथा सम्राटों की व्यावहारिक नीतियों पर आधारित थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने जिस शासन प्रणाली की नींव रखी, उसे सम्राट अशोक ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ और अधिक विकसित किया। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं।

मौर्य शासन पूर्णतः केन्द्रीयकृत था, जहाँ सम्राट ही सर्वोच्च सत्ता का स्रोत था। सभी निर्णयों का अंतिम अधिकार सम्राट के पास होता था। यह प्रणाली साम्राज्य की एकता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक थी, विशेषतः इतने विशाल भूभाग पर शासन करने के लिए। हालांकि प्रांतीय स्तर पर स्थानीय अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, परंतु वे सम्राट के अधीन होते थे।

सम्राट मौर्य शासन का सर्वोच्च शासक होता था। उसकी शक्तियाँ असीमित थीं, लेकिन वह केवल स्वेच्छाचारी शासक नहीं था। उसे धर्म और नीति का पालन करना होता था। चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियाँ अर्थशास्त्र पर आधारित थीं, वहीं अशोक की नीतियाँ 'धम्म' पर आधारित थीं। अशोक ने राज्य को नैतिकता और कल्याण की भावना से जोड़ने का प्रयास किया।

सम्राट के प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए एक सुसंगठित मंत्रिपरिषद होती थी। इसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी (मात्य/महामात्य) शामिल होते थे, जो सम्राट को परामर्श देते थे और नीतियों

को क्रियान्वित करते थे। अर्थशास्त्र में ऐसे अनेक पदों का उल्लेख है कृजैसे अमात्य, संनिधाता (कोषाध्यक्ष), समाहर्ता (राजस्व अधिकारी), सेनापति, दण्डपाल आदि।

मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों की स्थापना की गई थी, जो अलग-अलग कार्यों के लिए उत्तरदायी थे। प्रमुख विभाग इस प्रकार थे—

वित्त विभाग — राजस्व, कर व कोष संबंधी कार्य

सैन्य विभाग —सेना की व्यवस्था, युद्धनीति

गुप्तचर विभाग — जासूसी और आंतरिक सुरक्षा

न्याय विभाग — अपराधों की जांच और दंड व्यवस्था

नगर विभाग — नगरों के नियमन, व्यापार व निर्माण कार्य

व्यापार विभाग — बाजार, मूल्य नियंत्रण व व्यापार नीति

इस विभागीय संरचना ने शासन को अधिक कुशल बनाया।

प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। कुछ प्रमुख पदाधिकारी निम्नलिखित हैं—

महामात्य —उच्च प्रशासनिक अधिकारी, सम्राट के सलाहकार और कार्यवाहक

समाहर्ता — राजस्व वसूली के प्रमुख अधिकारी

दण्डनायक — न्यायिक अधिकारी, अपराधियों को दंड देने का कार्य

नगरक — नगरों का प्रशासन संभालने वाला अधिकारी

ग्रामिक — ग्रामों का प्रशासनिक अधिकारी

गुप्तचर —राज्य की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा हेतु नियुक्त भेदिया व जासूस

इन अधिकारियों का चुनाव योग्यता, निष्ठा और प्रशासनिक कुशलता के आधार पर होता था।

मौर्य शासन में न्यायिक प्रणाली दण्डनीति पर आधारित थी। अपराधों की रोकथाम और राज्य की स्थिरता हेतु कठोर दंड व्यवस्था थी। चाणक्य के अनुसार, "दण्ड ही धर्म का रक्षक है।" हालांकि अशोक के समय में इस नीति को नैतिक मूल्यों से जोड़ दिया गया और श्धम्मश के माध्यम से न्याय में सहिष्णुता व करुणा को स्थान दिया गया।

मौर्य शासन की गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत प्रभावशाली थी। शासन में श्गुप्तचरश् दो रूपों में होते थे— संचार और उपेक्षक। ये भिन्न-भिन्न वेष में कार्य करते हुए जनता व अधिकारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। चाणक्य के अनुसार, राज्य की सुरक्षा व नीति निर्माण के लिए गुप्तचर तंत्र अनिवार्य था।

मौर्य प्रशासन ने राज्य की आर्थिक समृद्धि हेतु योजनाबद्ध प्रयास किए। कृषि, वाणिज्य, उद्योग, खनिज, जल-संसाधन आदि के विकास हेतु विभिन्न नियम बनाए गए। कर प्रणाली व्यवस्थित थीकृभूमि

कर, व्यापार कर, शिल्प कर आदि से आय होती थी। अर्थशास्त्र में कर का अनुपात स्पष्ट रूप से निर्धारित था (सामान्यतः उपज का 1/6 भाग)।

सम्राट अशोक के काल में प्रशासन का दृष्टिकोण केवल नियंत्रण और कर-वसूली तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पशु-कल्याण, वृक्षारोपण, चिकित्सालयों की स्थापना, जल व्यवस्था और धार्मिक सहिष्णुता जैसे कार्यों को प्रशासनिक दायित्व का हिस्सा बनाया। यह प्राचीन भारत में शकल्याणकारी राज्य की प्रथम झलक थी।

मौर्य शासन केवल राजनीतिक संरचना नहीं था, वह एक नैतिक शासन व्यवस्था भी थी। चाणक्य की दण्डनीति और अशोक की धम्मनीतिकृतियों ने राज्य को केवल एक शक्ति केन्द्र न बनाकर एक उत्तरदायी संस्था के रूप में प्रस्तुत किया।

मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताएँ इसे प्राचीन विश्व की सबसे संगठित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में शामिल करती हैं। इसकी केंद्रीयकृत संरचना, विभागीय विभाजन, योग्यता आधारित नियुक्तियाँ, शक्तिशाली गुप्तचर व्यवस्था और नैतिक मूल्यों का समावेश इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह प्रशासनिक ढांचा आज के लोक प्रशासन के लिए भी अनुकरणीय है, विशेषतः जब पारदर्शिता, जवाबदेही और जनकल्याण की बात होती है।

केंद्रीय प्रशासन— मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका केंद्रीय प्रशासन था। यह प्रशासनिक ढांचा एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित था, जिसमें सम्राट सर्वोच्च सत्ता का स्वामी होता था और उसके अधीन विभिन्न विभागों, मंत्रियों एवं अधिकारियों की एक सुसंगठित श्रृंखला कार्य करती थी। केंद्रीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य पूरे साम्राज्य में समरूप नीति का संचालन, नियंत्रण और अनुशासन सुनिश्चित करना था।

1. सम्राट की भूमिका— सम्राट मौर्य प्रशासन का केंद्रबिंदु था। शासन, न्याय, सैन्य, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नीतियों का निर्धारण सम्राट द्वारा किया जाता था। उसकी सत्ता सर्वोच्च, परंतु उत्तरदायी थी। सम्राट न केवल राजनैतिक मुखिया होता था, बल्कि उसे नैतिक आदर्शों का पालन भी करना होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में शासन को नीति और व्यवस्था से जोड़ा। अशोक ने 'धम्म' के माध्यम से शासन में करुणा, नैतिकता और जनकल्याण को स्थान दिया। अर्थशास्त्र में कहा गया है – राजा को प्रजा की रक्षा हेतु कार्य करना चाहिए, क्योंकि प्रजा ही राज्य की आत्मा है।

2. मंत्रिपरिषद— सम्राट को शासन संचालन में सहायता देने हेतु एक सुसंगठित मंत्रिपरिषद होती थी। इसके सदस्य सम्राट के विश्वस्त और विशेषज्ञ होते थे। मंत्रिपरिषद की भूमिका निम्नलिखित थी—

नीतियों पर परामर्श देना

प्रशासनिक कार्यों में मार्गदर्शन करना

संकट या युद्ध जैसी परिस्थितियों में निर्णय लेना

वित्त, न्याय, रक्षा, आंतरिक व्यवस्था आदि में सहयोग करना

मुख्य मंत्री (महामात्य) इस परिषद का प्रधान होता था। अन्य सदस्य अपने-अपने विभागों के प्रमुख होते थे।

3. विभिन्न विभाग एवं उनके कार्य— मौर्य प्रशासन में कार्यों को सुचारु रूप से विभाजित करने के लिए कई विभाग गठित किए गए थे। अर्थशास्त्र में इनका विस्तार से उल्लेख मिलता है

(क) वित्त विभाग, अध्यक्ष— संनिधाता (कोषाध्यक्ष), कार्य— राजस्व संग्रह, कर निर्धारण, व्यय की निगरानी

(ख) राजस्व विभाग, अध्यक्ष— समाहर्ता, कार्य, भूमि कर वसूली, आय-व्यय का लेखा-जोखा

(ग) सेना विभाग, अध्यक्ष— सेनापति, कार्य— सेना की नियुक्ति, वेतन, युद्ध-सामग्री

(घ) गुप्तचर विभाग, अध्यक्ष: विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी, कार्य: शासकीय निगरानी, आंतरिक असंतोष पर नियंत्रण, शत्रुओं की जानकारी

(ङ) नगर प्रशासन, अध्यक्ष: नगरक, कार्य: नगर नियोजन, व्यापार नियंत्रण, सफाई, निर्माण आदि

4. महामात्य और अन्य उच्चाधिकारी— महामात्य मौर्य प्रशासन में सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी होता था। वह सम्राट के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता और प्रायः राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कार्य करता था।

अन्य प्रमुख अधिकारी—

दण्डपाल — न्यायिक अधिकारी

अन्तपाल — सीमांत क्षेत्रों का रक्षक

युक्त — विभिन्न कार्यों के निरीक्षक

प्रदेशिक — प्रांतों में नियुक्त सम्राट का प्रतिनिधि

इन अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता, विश्वसनीयता और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर की जाती थी।

5. केंद्रीय कार्यालय और अभिलेख प्रणाली— मौर्य प्रशासन में लेखा-जोखा, सूचनाएँ एवं आदेशों को संरक्षित करने के लिए एक संगठित अभिलेख प्रणाली विकसित की गई थी। अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से यह प्रमाणित होता है कि आदेशों को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाता था। लेखकों, पुरोहितों और दूतों का एक तंत्र कार्यरत था जो शासकीय कार्यों के अभिलेख रखता था।

6. निर्णय-प्रक्रिया और नीतिगत दृष्टिकोण— यद्यपि सम्राट सर्वोच्च निर्णयकर्ता था, फिर भी निर्णय अक्सर मंत्रिपरिषद के परामर्श से लिए जाते थे। चाणक्य के अनुसार, राज्य को सात अंगों (सप्तांग सिद्धांत) पर आधारित होना चाहिए — राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। यह दृष्टिकोण मौर्य शासन को केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि रणनीति, नैतिकता और दीर्घकालीन नीतियों पर आधारित बनाता है।

7. नियंत्रण और निगरानी प्रणाली— केंद्रीय प्रशासन की एक विशेषता थी — अधिकारी-पर-अधिकारी की निगरानी प्रणाली। एक वरिष्ठ अधिकारी दूसरे की गतिविधियों पर निगरानी रखता था। इसके अलावा,

गुप्तचर भी प्रत्येक विभाग में लगे रहते थे, जिससे भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखा जा सके।

8. प्रशासनिक जवाबदेही और दंड व्यवस्था— मौर्य शासन में अधिकारी उत्तरदायी होते थे। यदि कोई अधिकारी अपने कार्य में लापरवाही करता या अनैतिक आचरण करता, तो उसे दंडित किया जाता था। इसके लिए स्पष्ट नियम निर्धारित थे। अर्थशास्त्र में लिखा है – जो राजा अपने अधिकारियों को उचित दंड नहीं देता, वह राज्य को नष्ट कर देता है। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन न केवल अपने समय में सबसे संगठित और प्रभावशाली था, बल्कि आज भी यह प्रशासनिक अनुशासन, उत्तरदायित्व, योग्यता और नीति-निर्माण में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। सम्राट की सर्वोच्चता के साथ मंत्रिपरिषद की भागीदारी, विभागीय संरचना, प्रभावी निगरानी और नीतिगत स्पष्टताकृये सभी पहलू एक स्थिर, समावेशी और उत्तरदायी शासन की पहचान हैं।

4. प्रादेशिक प्रशासन— मौर्य साम्राज्य का विस्तार अत्यंत विशाल था। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ। इतने विस्तृत क्षेत्र पर प्रभावी शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल केंद्रीय प्रशासन पर्याप्त नहीं था; इसके लिए एक मजबूत प्रादेशिक प्रशासन की आवश्यकता थी। इस खंड में हम मौर्यकालीन प्रादेशिक प्रशासन की संरचना, पदाधिकारियों और कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे।

1. प्रांतों का विभाजन (जनपद और प्रदेश)— मौर्य साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों (जनपदों या प्रदेशों) में विभाजित किया गया था। इन प्रांतों का प्रशासनिक नियंत्रण 'प्रादेशिक' नामक अधिकारी के हाथों में होता था, जो सीधे सम्राट को उत्तरदायी होता था।

प्रमुख मौर्य प्रांतों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित थे— मगध (राजधानी पाटलिपुत्र के साथ) – केंद्रीय प्रांत, अवंती – पश्चिमी प्रांत (उज्जैन केंद्र), तक्षशिला – उत्तर-पश्चिमी सीमा पर प्रमुख प्रांत, कर्नाटक/दक्षिण भारत – विजय अभियानों के बाद जुड़ा, कांची, काशी, कौशाम्बी आदि –अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ।

2. प्रादेशिक – प्रांत प्रमुख— 'प्रादेशिक' प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसकी भूमिका सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में होती थी। उसके प्रमुख कार्य थे— राजस्व एकत्र करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अधिकारियों की नियुक्ति और निगरानी, सैनिकों की व्यवस्था, स्थानीय विवादों का निपटारा, जनसंपर्क और नीति-प्रचार।

अशोक के शिलालेखों में भी 'प्रादेशिक' शब्द का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था।

3. न्याय और दण्ड व्यवस्था— प्रांतीय प्रशासन में न्याय व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी। 'राजुक' और 'दण्डपाल' जैसे अधिकारी न्यायिक मामलों को देखते थे। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि प्रांतों में 'धम्ममहामात्य' नियुक्त किए गए, जो लोगों को नैतिक शिक्षा देने के साथ-साथ विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करते थे।

4. राजुक – क्षेत्रीय राजस्व और न्याय अधिकारी— 'राजुक' नामक अधिकारी आज के जिलाधिकारी (क्वेजतपबज डंहपेजतंजम) की तरह कार्य करता था। वह भूमि माप और कर निर्धारण करता था, कृषि

व्यवस्था पर नजर रखता था, न्यायिक कार्य करता था, जनहित के कार्यों की निगरानी करता था। अशोक ने अपने अभिलेखों में 'राजुकों' को दंड और पुरस्कार देने की स्वतंत्रता दी थी, जिससे उनकी शक्तियाँ और दायित्व दोनों महत्वपूर्ण थे।

5. युक्त और स्थानीयक— युक्त: यह अधिकारी लेखांकन और आर्थिक कार्यों से संबंधित होता था।

स्थानिक : यह अधिकारी उप-प्रांतीय क्षेत्रों का प्रमुख होता था, जो 'प्रदेशिक' के अधीन कार्य करता था। वह स्थानीय स्तर पर कर वसूली, सुरक्षा व्यवस्था और नगरों की देखरेख करता था।

6. संचार और निगरानी व्यवस्था— प्रांतों और राजधानी के बीच नियमित संवाद के लिए एक संगठित संचार प्रणाली थी। घुड़सवार दूत और संदेशवाहक नियमित रूप से समाचार लाते-ले जाते थे। इसके अतिरिक्त, गुप्तचर तंत्र भी प्रांतीय अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखता था। इस प्रकार केंद्र को सभी प्रांतों की स्थिति की जानकारी समय पर प्राप्त होती रहती थी।

7. नगर और ग्राम प्रशासन से संबंध— प्रांतों के अधीन नगरों और ग्रामों का प्रशासन स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था, परंतु इन पर प्रांतीय प्रशासन की सीधी निगरानी होती थी। प्रांत स्तर से नीचे के प्रशासन में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होते थे— ग्रामिक: ग्राम प्रमुख, नगरक: नगर प्रमुख, अष्टाधिकारी परिषद: नगर नियोजन, कर निर्धारण, न्याय, निर्माण कार्य आदि

8. धर्म और संस्कृति का प्रांतीय विस्तार— अशोक के काल में प्रांतों में 'धम्म' के प्रचार हेतु विशेष महामात्य नियुक्त किए गए। इनका कार्य था— धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, नैतिक शिक्षा देना, सामाजिक समरसता बनाए रखना, दान, पशु-कल्याण, वृक्षारोपण जैसे कार्य करना, यह प्रशासनिक व्यवस्था को केवल भौतिक नियंत्रण तक सीमित न रखकर, उसे नैतिक आधार भी प्रदान करती थी।

9. प्रांतों में कल्याणकारी योजनाएँ— प्रांतों में निम्नलिखित प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गईं— जलाशयों, कुओं और सड़कों का निर्माण, चिकित्सालयों और पशु चिकित्सालयों की स्थापना, वनों और अभ्यारण्यों की सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रांतों में केवल प्रशासनिक नियंत्रण ही नहीं, बल्कि विकासात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया गया।

10. उत्तरदायित्व और पारदर्शिता— मौर्य प्रशासन में प्रांतीय अधिकारियों को उत्तरदायी माना गया था। वे अपने कार्यों के लिए सम्राट को उत्तरदायी होते थे। उनके आचरण की निगरानी गुप्तचरों और केंद्रीय दूतों द्वारा की जाती थी। किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर कठोर दंड दिया जाता था।

मौर्य साम्राज्य का प्रादेशिक प्रशासन उसकी सुचारु शासन व्यवस्था की रीढ़ था। 'प्रदेशिक', 'राजुक', 'युक्त', 'स्थानिक' जैसे अधिकारियों की संगठित शृंखला ने शासन को प्रभावशाली और जवाबदेह बनाया। साथ ही अशोक द्वारा नैतिकता और जनकल्याण को प्रांतीय स्तर तक विस्तारित कर शासन को अधिक मानवीय स्वरूप प्रदान किया गया। यह मॉडल आज के संघीय ढांचे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक संरचना से मिलती-जुलती है।

स्थानीय प्रशासन— मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली की मजबूती का एक प्रमुख आधार उसका स्थानीय प्रशासन था। साम्राज्य का संचालन केवल केंद्र और प्रांतों के माध्यम से संभव नहीं था, बल्कि ग्राम, नगर,

और कस्बों के स्तर पर एक कुशल और संगठित स्थानीय प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता थी। यह ढांचा न केवल प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करता था, बल्कि जनसंपर्क, कर संग्रह, सामाजिक समरसता और न्याय व्यवस्था को भी सुदृढ़ करता था। मौर्य साम्राज्य के विस्तार और जनसंख्या की विविधता के कारण स्थानीय स्तर पर शासन का विकेंद्रीकरण अनिवार्य था। इससे प्रशासनिक निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते थे और जनता की समस्याओं का समाधान भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता था। ग्राम भारतीय समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे सशक्त इकाई रही है। मौर्य काल में ग्राम प्रशासन का नेतृत्व 'ग्रामिक' नामक अधिकारी करता था। ग्रामिक प्रायः स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों में से चुना जाता था, जो गाँव की परंपराओं, भूमि व्यवस्था और सामाजिक संरचना से भलीभांति परिचित होता। हालाँकि शासन सम्राट के अधीन था, लेकिन ग्राम स्तर पर समुदाय का विशेष महत्व था। महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम सभा में लिए जाते थे जिसमें गाँव के बुजुर्ग, प्रभावशाली किसान और व्यापारी भाग लेते थे। यह प्रणाली आधुनिक पंचायत व्यवस्था का प्रारंभिक रूप मानी जा सकती है। नगर प्रशासन मौर्य प्रशासन का अत्यंत संगठित अंग था। विशेषकर पाटलिपुत्र जैसे महानगर में नगर प्रशासन अत्यंत विस्तृत और विविध कार्यों को समेटे हुए था। नगरक सीधे प्रदेशिक के अधीन कार्य करता था और कई अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करता था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर में कार्यरत एक अष्टाधिकारी परिषद का उल्लेख किया है। यह नगर के विविध कार्यों के लिए उत्तरदायी थी। यह परिषद एक तरह से आज के नगरपालिका परिषद या नगर निगम की तरह कार्य करती थी। नगरों में व्यापार अत्यंत सक्रिय था, और प्रशासन ने इसे नियंत्रित करने हेतु सुसंगठित प्रणाली विकसित की थी। दुकानों का पंजीकरण अनिवार्य था, माप-तौल की इकाइयों का निर्धारण, वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित, नगर की सीमाओं पर चुंगी कर लिया जाता था नगर अधिकारी व्यापारियों से प्रत्यक्ष संवाद रखते थे और जनता के हित को प्राथमिकता दी जाती थी।

न्यायिक व्यवस्था— ग्रामों और नगरों दोनों में न्यायिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। ग्रामिक या स्थानीय सभा द्वारा छोटे विवाद सुलझाए जाते थे। नगरक और अष्टाधिकारी परिषद द्वारा नगर के अपराधों और विवादों का निपटारा किया जाता था। जटिल मामलों को प्रांतीय अधिकारियों या सम्राट तक भेजा जाता था। दंड के प्रकारों में आर्थिक दंड, सामाजिक बहिष्कार, और कठोर दंड शामिल थे।

धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण— अशोक के शासनकाल में 'धम्म' की शिक्षा को ग्राम और नगर स्तर तक पहुँचाने के लिए 'धम्ममहामात्य' नियुक्त किए गए। ये अधिकारी, नैतिकता और सदाचार का प्रचार करते, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते, ग्रामीण विवादों को नैतिक समाधान प्रदान करते, जातीय और वर्गीय तनाव को नियंत्रित करते

विकास और जनकल्याण के कार्य— स्थानीय प्रशासन द्वारा निम्नलिखित जनकल्याणकारी कार्य किए जाते थे— कुएँ, तालाब और सड़कों का निर्माण, चिकित्सालयों की स्थापना, वृक्षारोपण और पशु सेवा, शिक्षा और धार्मिक स्थलों की देखरेख, यह प्रशासन को एक जनोन्मुखी और सेवाभावी स्वरूप प्रदान करता था।

उत्तरदायित्व और निगरानी— स्थानीय अधिकारियों की निगरानी के लिए, उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, गुप्तचर तंत्र द्वारा रिपोर्टिंग, केंद्र से समय-समय पर आदेश और अनुगमन, अशोक के शासन में प्रत्येक अधिकारी को प्रजा की सेवा और कल्याण के सिद्धांत के अनुसार उत्तरदायी माना गया।

मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन एक परिपक्व, उत्तरदायी और जनोन्मुख प्रणाली थी। गाँवों में ग्रामिक और ग्राम सभाएँ, और नगरों में नगरक एवं अष्टाधिकारी परिषद ने शासन की जड़ों को समाज में गहराई तक स्थापित किया। यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक रूप से सफल रही, बल्कि सामाजिक समरसता, आर्थिक स्थिरता और नैतिक आदर्शों की स्थापना में भी सहायक बनी। वर्तमान स्थानीय स्वशासन प्रणाली – ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि – मौर्यकालीन व्यवस्था की ही आधुनिक अभिव्यक्ति प्रतीत होती है।

आर्थिक प्रशासन और राजस्व व्यवस्था— मौर्य साम्राज्य की स्थिरता और दीर्घकालिकता का आधार उसकी सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित और चाणक्य (कौटिल्य) के मार्गदर्शन में विकसित इस व्यवस्था का विस्तृत विवरण अर्थशास्त्र में मिलता है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों और मेगस्थनीज के विवरण भी आर्थिक जीवन की विविधताओं को उजागर करते हैं।

मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, खनन और वन संसाधन सभी सम्मिलित थे। शासन ने इन सभी क्षेत्रों का नियंत्रण कर राजकोष को समृद्ध बनाया। राजकोष शासन व्यवस्था का वित्तीय स्तंभ था। राजकोषाध्यक्ष को सन्निधातृ कहा जाता था, जो सभी वित्तीय मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके कार्य थे— करों की प्राप्ति का लेखा-जोखा, व्यय और संग्रहण की निगरानी, सार्वजनिक योजनाओं के लिए धन आवंटन, खजानों की सुरक्षा, राजकोष का उपयोग मुख्यतः सेना, सार्वजनिक निर्माण, धार्मिक गतिविधियाँ और प्रशासनिक व्यय हेतु होता था।

राजस्व के प्रमुख स्रोत— भूमि कर (भाग/भोग), भूमि कर मुख्य आय का स्रोत था, प्रायः 1/6 भाग (षष्ठांश) की दर से वसूली होती थी, कर अनाज, मुद्रा या श्रम के रूप में लिया जाता था, 'गोप' (कृषि निरीक्षक) और 'स्तानीय' अधिकारी कर निर्धारण करते थे।

व्यापार कर— सीमा पर चुंगी कर (शुल्क), नगरों में व्यापारियों से शुल्क, निर्यात-आयात कर, पशु और वन कर-पशुपालकों से कर, वनों के उपयोग पर कर, हाथी, लकड़ी, औषधियों आदि पर कर, लवण और खनिज कर, नमक, सोना, लोहा, तांबा आदि के उत्पादन पर कर, खनिज क्षेत्रों पर राज्य का एकाधिकार, शिल्प और दस्तकारी कर, कारीगरों और उद्योगपतियों से कर, उत्पादन के अनुसार शुल्क।

राज्य की वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाता था। मौर्यकालीन आर्थिक और राजस्व व्यवस्था अत्यंत विकसित और संतुलित थी। इसमें न केवल संग्रहण की प्रणाली थी, बल्कि विकास और न्याय की भावना भी विद्यमान थी। आज के वित्तीय प्रशासन-राजकोष, कर, लेखा प्रणाली, और विकास योजनाओं का आधार इसी ऐतिहासिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था उसका न्यायिक प्रशासन। यह व्यवस्था न केवल दंड और कानून तक सीमित थी, बल्कि सामाजिक नैतिकता, धर्म, और राज्य की उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका को भी समाहित करती थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के धम्म शिलालेख इस न्याय प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।

मौर्यकालीन न्याय प्रणाली राज्य-नियंत्रित, नैतिक मूल्यों पर आधारित और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने वाली थी। यह प्रणाली दो स्तरों पर कार्य करती थी। दोनों ही प्रकार के न्याय के लिए अलग-अलग अधिकारी और प्रक्रियाएँ थीं, जिनका उद्देश्य कानून का पालन और प्रजा की सुरक्षा था। सम्राट

अशोक के शासनकाल में न्याय प्रणाली को नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखा गया। धम्ममहामात्य की नियुक्ति की, जो धर्म, नैतिकता और सामाजिक समरसता का प्रचार करते थे। 'अपील प्रणाली' का निर्माण किया, जिसमें दंड के विरुद्ध सम्राट तक याचना की जा सकती थी। न्याय में सहिष्णुता, अहिंसा और सत्य को प्राथमिकता दी। बंदियों और दंडित व्यक्तियों के प्रति करुणा और सुधार की भावना अपनाई। कौटिल्य ने दंड को सुधारात्मक उपकरण माना, न कि केवल दमन का साधन। अशोक ने भी कहा कि "राजा को दंड के साथ धर्म का भी पालन करना चाहिए।

मौर्य साम्राज्य की न्यायिक प्रणाली एक संगठित, नैतिक और न्यायपरक व्यवस्था थी। इसमें अपराध और दंड के साथ-साथ धर्म, नैतिकता और करुणा का समावेश था। अशोक के काल में यह प्रणाली और भी मानवीय और कल्याणकारी बनी। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था की जड़ें कहीं न कहीं इसी ऐतिहासिक नींव में दिखाई देती हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढाँचा प्राचीन भारत की सबसे संगठित और व्यवस्थित व्यवस्थाओं में से एक था। इसकी विशिष्टता और जटिलता ने इसे दीर्घकालिक और विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु, जहाँ इसमें कई प्रशासनिक विशेषताएँ थीं, वहीं कुछ कमजोरियाँ भी अंततः इसके विघटन का कारण बनीं। यही कारण था कि चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान सम्राटों के बाद मौर्य साम्राज्य बहुत शीघ्र पतन की ओर बढ़ा।

मौर्य प्रशासन भारतीय प्रशासनिक परंपरा की एक मील का पत्थर था। इसकी विशेषताएँ जैसे केंद्रीकृत शासन, कुशल नौकरशाही, न्याय व्यवस्था, आर्थिक नियंत्रण और कल्याणकारी नीतियाँ आज भी भारतीय प्रशासनिक तंत्र की प्रेरणा हैं। परंतु इसके अत्यधिक केंद्रीकरण, जन भागीदारी के अभाव, और नेतृत्व संकट जैसे आंतरिक दोषों ने इसकी स्थिरता को दीर्घकालिक नहीं बना सकी। समकालीन भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक शिक्षण मॉडल है जहाँ संतुलन, विकेन्द्रीकरण और जनसहभागिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढाँचा अपने समय का सबसे प्रभावशाली और सुसंगठित शासन तंत्र था। यह न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर था, बल्कि इसके तत्त्व और सिद्धांत आज भी समकालीन प्रशासन में प्रासंगिक हैं। मौर्य प्रशासन ने जो संगठनात्मक, वित्तीय, न्यायिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, वे आज भी हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक ढाँचे में देखा जा सकता है। इस खंड में हम मौर्य प्रशासन की समकालीन प्रासंगिकता का विश्लेषण करेंगे और अंत में इसके महत्व और निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे।

मौर्य साम्राज्य में केन्द्रीयकृत शासन व्यवस्था ने दिखाया कि यदि कोई शासन सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बावजूद पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांधना चाहता है, तो उसे प्राधिकृत अधिकारियों, समन्वय और दक्षता की आवश्यकता होती है। समकालीन प्रशासन में, विशेष रूप से भारतीय संघीय ढाँचे में, यह प्रबंधन के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करता है, जहाँ केन्द्र और राज्य स्तर पर शक्तियों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मौर्य साम्राज्य की नौकरशाही में कार्यकुशलता, योग्यता और पारदर्शिता का प्रमुख स्थान था। समकालीन भारतीय प्रशासन में, जहाँ सैकड़ों विभाग और मंत्रालय काम कर रहे हैं, वहाँ मौर्यकालीन प्रशासनिक तंत्र की समानताएँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। विभागीय विभाजन,

निगरानी और एक सुव्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत काम करने की आवश्यकता आज भी हमारे प्रशासनिक ढाँचे में महसूस की जाती है।

मौर्य प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य जनकल्याण था, और यह शासन का एक स्थायी सिद्धांत था। यह सिद्धांत आज भी समकालीन विकास नीति में प्रासंगिक है, जहाँ समाज के सभी वर्गों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए विकास योजनाएँ बनाई जाती हैं। अशोक के शासन में किए गए सार्वजनिक कार्य जैसे सड़कें, अस्पताल, जलसंरचनाएँ और धर्मशालाएँ आज भी हमारे सरकारी योजनाओं के रूप में जीवित हैं। मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था का कठोर लेकिन न्यायपूर्ण स्वरूप था, जिसमें साक्ष्य, प्रमाण और निष्पक्षता की प्राथमिकता थी। यह सिद्धांत आज भी समकालीन न्याय व्यवस्था की नींव है, जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और समयबद्ध न्याय प्रदान करना अनिवार्य है। मौर्यकालीन दंड नीति में सुधार की भावना, न कि केवल दमन, एक मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण को प्रेरित करता है, जो वर्तमान में हमारे अपराध और न्यायिक प्रणाली में भी परिलक्षित होता है। मौर्य प्रशासन के कमजोरियों में एक बड़ा कारण अत्यधिक केंद्रीकरण था। आज के समय में, विशेष रूप से स्थानीय स्वशासन और नगरीय प्रशासन में, मौर्यकालीन प्रशासन के इस पहलू से महत्वपूर्ण शिक्षाएँ ली जा सकती हैं। यह बताता है कि शासन का एक संतुलित ढाँचा जहाँ केन्द्र सरकार अपनी नीतियों का मार्गदर्शन करती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त स्वायत्तता मिलती है स्थिरता और समृद्धि का आधार बन सकता है।

मौर्य साम्राज्य का प्रशासन एक कठोर और व्यवस्थित प्रणाली थी, जिसमें केंद्रीकृत शासन, संगठित नौकरशाही, राजस्व और न्यायिक नियंत्रण, और जनकल्याण की नीतियाँ प्रमुख थीं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य (कौटिल्य) ने जो प्रशासनिक ढाँचा स्थापित किया, वह न केवल प्राचीन भारत की सर्वोत्तम प्रशासनिक प्रणालियों में से एक था, बल्कि आज भी प्रशासनिक अध्ययन और नीति निर्माण के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताएँ जैसे कि विकसित वित्तीय व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली, और राजस्व वसूली समकालीन प्रशासन की नींव बन सकती हैं। इन तत्वों ने साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की थी, और आज के समय में पारदर्शिता, न्याय, और विकास-oriented शासन की दिशा में कदम उठाने के लिए यह एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

हालाँकि, मौर्य साम्राज्य की कमजोरी जैसे अत्यधिक केंद्रीकरण, नेतृत्व संकट, और भ्रष्टाचार आज भी हमारे प्रशासनिक ढाँचे के लिए एक चेतावनी है। यह दर्शाता है कि शासन की स्थिरता केवल समयबद्ध निर्णय, पारदर्शिता और लोकसंगठन पर निर्भर करती है, न कि केवल केंद्रीकरण या तानाशाही पर।

अंततः, मौर्य प्रशासन एक स्थायी प्रशासनिक मॉडल के रूप में भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ता है, जिससे हम आज के शासन में सिद्धांतों और कार्यप्रणालियों को प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं।

संदर्भ सूची—

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, वर्ष 2005, ISBN: 978-81-206-1601-4
 भारत का प्रशासनिक इतिहास, रामशरण शर्मा, राजकमल प्रकाशन, 2010, ISBN: 978-81-8214-333-7
 मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढाँचा, नरेंद्र कुमार, राजपाल एंड सन्स, 2007, ISBN: 978-81-7403-701-9

- सम्राट अशोक और उनका प्रशासन, विनायक कृष्ण गोकक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2008, ISBN: 978-0-19-567631-9
- भारतीय प्रशासनिक संरचना का विकास, उदित नारायण, प्रकाशन हाउस, 2015, ISBN: 978-81-7490-098-1
- राजनीतिक विचार और प्रशासनिक अवधारणाएँ, बल्देव सिंह, पीएचपी पब्लिशर्स 2012, ISBN: 978-81-7311-289-5
- मौर्य साम्राज्य और सम्राट चंद्रगुप्त, सुरेश चंद्र, दीपक पब्लिशिंग, 2009 ISBN: 978-81-7371-552-3
- मौर्य कालीन न्याय और प्रशासन, राधेश्याम शर्मा, पुरानी दिल्ली प्रकाशन, 2011 ISBN: 978-81-202-0320-9
- आधुनिक भारत का इतिहास, रामनाथ गोयनका, प्रकाशक समूह, 2014, ISBN: 978-81-7364-564-2
- भारत का ऐतिहासिक प्रशासन, सुरेंद्र सिंह, नेशनल पब्लिशिंग, 2006, ISBN: 978-81-208-2345-2
- मौर्य साम्राज्य का समाज और संस्कृति, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, इंडियन हिस्ट्री पब्लिशर्स, 2013, ISBN: 978-81-7348-198-4
- चाणक्य नीति और प्रशासनिक सिद्धांत, रामकृष्ण यादव, श्रीराम प्रकाशन, 2017, ISBN: 978-81-9064-510-3
- सम्राट अशोक के धम्म और उनका शासन, शरद चौधरी, सागर पब्लिकेशन, 2016, ISBN: 978-81-8029-473-2
- भारतीय शासन और प्रशासन एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भुवनेश कुमार, पेंगुइन इंडिया, 2019, ISBN: 978-0-14-342895-7
- भारत में प्रशासनिक संरचना का ऐतिहासिक विकास, पंकज कुमार, मोतीलाल बनारसीदास, 2004, ISBN: 978-81-208-2123-5
- भारत का प्राचीन प्रशासन और शासक, रमेश चंद्र, गीता प्रकाशन, 2010, ISBN: 978-81-261-3634-0
- मौर्य कालीन राजनीति और प्रशासन, कृष्णन कुमार, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय 2011, ISBN: 978-81-8209-436-7
- मौर्य साम्राज्य की नीति और दंड, अमरनाथ चौधरी, सद्गुरु पब्लिकेशंस, 2008, ISBN: 978-81-7049-455-0
- चाणक्य और उनका अर्थशास्त्र, डॉ. सुमन रानी, राधाकृष्ण प्रकाशन, 2014, ISBN: 978-81-7230-171-2
- मौर्य साम्राज्य, प्रशासन और शासन, रवीश कुमार, ग्रंथ शाला, 2012, ISBN: 978-81-9075-112-1
- मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक और प्रशासनिक इतिहास, कृष्ण बिहारी, विज्ञान प्रकाशन, 2015, ISBN: 978-81-7019-119-4